न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2/42/2018 दायर दिनांकः– 07/05/2018

जीसीएमएस नंः– 2018/00108 निर्णय दिनांकः– 18/07/2025

वउनवान

1. बनबारी पुत्र भौरा जाति नाई निवासी कठूमर तहसील कठूमर

------ सायल

बनाम

1. कल्लू पुत्र छज्जू जाति नाई निवासी कठूमर तहसील कठूमर
2. सुशीला पत्नी स्व0 मोती जाति नाई निवासी कठूमर तहसील कठूमर
3. तारा पुत्री मोती जाति नाई निवासी कठूमर तहसील कठूमर
4. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–श्री महेन्द्रसिंह कपासिया –अधिवक्ता सायल
श्री तेजसिंह राठी – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1

–::निर्णय::–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 194 रकवा 0.92 हे0 181 रकवा 0.53 हे0 184 रकवा 0.28 हे0 187 रकवा 0.18 हे0 ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायला एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी में सायल का 1/2 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1 ला0 3 की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी पर सायल एंव गैरसायलान शामलात

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

कठूमर (अलवर) राज०

में काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायल का विवादित आराजी में मुताविक हिस्सा कब्जा है तथा शेष गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायल एंव गैरसायलान के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायल ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुझें विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही गैरसायल सं0 4 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय कर देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला तवाह एंव वर्वाद हो जावेगी दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी की पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधानुसार सहमति से काफी समय पहले घरू वंटवारा कर लिया था मुताविक घरू वंटवारा विवादित आराजी पर सायला एंव गैरसायल व अन्य प्रतिवादीगण काविज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी अवट ना होकर मौके पर वहामी तौर पर वंटी हुई है। मुताविक घरू वंटवारा शांति पूर्वक काश्त हो रही है। यदि विवादित आराजी का मौके के वहामी वंटवारा व कब्जा के अनुसार वंटवारा कर दिया जाता है सायल ने अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। सायल एंव गैरसायलान अपने अपने घरू वंटवारे के अनुसार काविज रहकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद नही है सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। गैरसायलान ने सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायल सं0 2 ला0 4 बाबजूद तामील उपस्थित नही आये जिनके विरूद्व दिनांक 04.03.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुन्डावर (अलवर) राज०

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

प्रथम दृष्टा केसः–विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायल सं0 1 ला0 3 की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ने अपनी वहस में अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी काफी समय से वंटी हुई है जो अवट ना होकर वटी है तथा मुताविक घरू वंटवारा काश्त हो रही है। केवल राजस्व रिकार्ड में शामलात खातेदारी की दर्ज है। उक्त आराजी अवट ना होकर वंटी हुई है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाव प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की शामलात खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त आराजी का अवट व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। सायल विवादित आराजी की हिस्सानुसार सहखातेदार दर्ज है। जिस कारण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

गैरसायलान को सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व विना तकासमा रहन वय करने का अधिकार नहीं है। विवादित आराजी का घरू वंटवारा हो रहा हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकता है तथा रहन वय कर सकता है। जिससे सायल को नुकसाान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित होता है।

सुविधा का सन्तुलनः—सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान का कथन कि उक्त आराजी मौके पर वंटी हुई है जिस सम्बन्ध में गैरसायलान ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायल विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायलान ने सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल को होना संभव है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—:आदेशः—

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 194 रकवा 0.92 हे0 181 रकवा 0.53 हे0 184 रकवा 0.28 हे0 187 रकवा 0.18 हे0 ग्राम कठूमर तहसील कठूमर तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

बनाये रखें तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 07.05.2018 को मूल दावा के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

20/6/25	वकुलाय उपस्थित। ~~अधिवक्ता~~ वकुलाय की बहस धारा पर हुयी सुनवाई वास्ते आदेश दिनांक 30/6/25 को पेश हो। SDM
30/6/25	पुकार कराई गई। आज अतिरिक्त कार्य में पत्रावली दिनांक 18/7/25 को पेश हो।
18/7/25	वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होने कारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर स्वा० नि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर ते भरके हो जाना SDM